

मन्जू देवी / राजू देवी - 31/2023

31/23

28.4.25

पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक संघ ने आज न्यायिक कार्य रथागित रखा। पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक 9.6.25 को पेश हो

9.6.25

पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलाट/रेसपो.उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज 9.6.25 पर है। अतः पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक 30/6/25 को पेश हो।

30.6.25

पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलाट/रेसपो.उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज 30.6.25 पर है। अतः पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक 28.7.25 को पेश हो।

20/7/25

पत्रावली पेश। प्रकरण में रेस्पॉण्डेंट की तामील शेष है इस हेतु अपीलाट शेष रेस्पॉण्डेंट के रजिस्टर्ड नोटिस आज ही पेश करें। जो पेश होने पर जारी हो। ताकि अपील का शीघ्रतिशीघ्र निस्तारण किया जा सके पत्रावली अस्तु तलबी प्रिकाड दिनांक 25/8/25 को पेश हों।

25/8/25

पत्रावली पेश वकील अपीलाट को पूर्व पेशी पर हिदायत दी गई थी कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेस्पॉण्डेंट के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जाएगी। आज दिनांक तक अपीलाट में रेस्पॉण्डेंट के रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि अपीलाट अपनी अपील के प्रति गम्भीर नहीं है। फलस्वरूप अपील अपीलाट आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज की जाती है। निर्णय त्रे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर के कप होकर बाह तन्वीक तकसीम दामिल दफनर हो।



अनिल कुमार IIRAS
सु-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प इन्चुर्न)